



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 188]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 2 जून 2020—ज्येष्ठ 12, शक 1942

खेल और युवा कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जून 2020
संशोधन

क्र. एफ. 2-22-2013-नौ.—मध्यप्रदेश शासन, खेल और युवा कल्याण विभाग की नस्ती क्रमांक एफ-2-16-04-नौ के ज्ञापन क्रमांक 170, दिनांक 5 अप्रैल 2005 द्वारा बनाये गये “पुरस्कार नियम” विक्रम, एकलव्य, विश्वामित्र पुरस्कार एवं लाईफ टाईम एचिवमेंट पुरस्कार के स्वीकृत करने संबंधी नियम 2005, एफ 2-33-2011-नौ के ज्ञापन क्रमांक 231, दिनांक 21 मई 2013 द्वारा बनाये गये स्व. श्री प्रभाष जोशी पुरस्कार स्वीकृत करने संबंधी नियम तथा संशोधन क्रमांक 106, दिनांक 13 मार्च 2006 में निमानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:—

2. विक्रम, एकलव्य, विश्वामित्र, लाईफ टाईम एचिवमेंट पुरस्कार के राजपत्र की कंडिका 1. 6 (1), 2.6 (1) 3.6(1), 4.6 (1) एवं स्व. श्री प्रभाष जोशी पुरस्कार के राजपत्र की कंडिका 5.6 (1) में आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मई है, प्रदेश में कोविड-19 का संक्रमण होने की विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होने के कारण मार्च 2020 से निरंतर लॉकडाउन होने के कारण आंशिक संशोधन करते हुए 15 मई के स्थान पर इस वर्ष (2020) हेतु 30 जून पढ़ा जावे।

संशोधन-शासन इन नियमों में संशोधन परिवर्तन शिथिलीकरण करने हेतु सक्षम रहेगा उक्त संशोधन राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से प्रभावशील माने जायेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सरिता बाला, उपसचिव।